विभिन्न /विविध सफाई कार्य/ एक ड्राईवर की सेवाये सहित एमसी टिप्परों को चलाने के लिये ठेके पर लेने /करने बावत शर्ते. जॉब नम्बर 1

1.प्रत्येक निविदाकार को टैंडर फार्म के साथ राशि मु050000/–बतौर धरोहर के रूप में कार्यालय में नगद जमा करनी होगी जो कि टैंडर स्वीकृति पर प्रथम व द्वितीय निविदाकार की परिषद् के पास जमा रहेगी अन्य को वापिस की जावेगी ।जंहा तक द्वितीय निविदाकार का प्रश्न है उक्त प्रस्तावित कार्य प्रथम द्वारा आरम्भ करने के बाद वापिस की जावेगी । बिना धरोहर राशी व सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य अनुभव के प्रमाणपत्र के टैंडर पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2.विविध सफाई कार्य/ठेके पर एक ड्राईवर की सेवाये देने के कार्य का ठेका 1.4.26 से दिनांक 31.3.27 की अवधि के लिये होगा ।

3. विविध सफाई के ठेका का कार्य क्षेत्र वार्ड न0 1,2,3 और 4 ब्लाक नम्बर 1 तथा वार्ड न0 5,6,7 ब्लाक न0 दो के लिये विभाजित होगा जिसके लिये टैडर भरने से पूर्व प्रत्येक इच्छुक निविदाकार द्वारा भौतिक तौर देखने के पश्चात ही टैंडर भरने की अनुशंसा की जाती है । ठेके पर एक ड्राईवर की सेवायें टिप्पर/ को एमसी एरिया व एमसी एरिया से बाहर भी चलाने हेतू ठेकेदार के माध्यम से ली जानी अपेक्षित है ।

4. विविध सफाई कार्य ठेका 16 सफाई कर्मियों वर्करों के अतिरिक्त एक ड्राईवर की सेवाओं सहित कुल 17 मैन पावर के साथ स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने खर्च पर 7 दिन के अन्दर नगरपरिषद् से इकरारनामा बनाना होगा ।

5.कार्य के प्रकार को देखते हुये यह आवश्यक है व सफाई कर्मचारियों की उम्र 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6 विविध सफाई कार्य में प्रयोग होने वाला सामान झाडू बेलचा,गैन्ती ,जब्बल ,ग्लब्स, जन्दरी मास्क इत्यादि ठेकेदार को उपलब्ध करवाना होगा नगरपरिषद् केवल रेहड़ी उपलब्ध करवायेगी ।

7.विविध सफाई कार्य में लगे सभी सफाई कर्मचारी व टिप्पर चलाने हेतू लाईसैंस होल्डर ड्राईवर स्वास्थ्य के सरकारी मापदंडो के अनुसार पूर्णतया स्वस्थ होने आवश्यक है ।

8.विविध सफाई कार्य करने व टिप्पर चलाने हेतू .16.. सफाई कर्मीयों की सेवाये तथा एक ड्राईवर की सेवाये नियमित रूप से प्रतिदिन देनी होगी जिसमे कि प्रत्येक क्षेत्र की गलियाँ नालियों सड़कों /सार्वजनिक स्थानों की सफाई, मलवा व कूड़ा सार्वजनिक स्थानों में झाडू लगाकार इकट्ठा करके कूड़ापात्रों में डालकर बाद में कूड़ापात्रों को खाली करके गाड़ी में भरना ,झाड़ियों को काटना, **लाबारिस पशु ,लाश दफनाने का कार्य भी विविध कार्य में तैनात कर्मचारियों से लिया जायेगा** । अवकाश के दौरान बारी बारी से रूटीन में कर्मियों/वर्करों को अवकाश देना होगा ताकि सम्बन्धित कार्य सेवाये प्रभावित न हो । ठेकेदार के माध्यम से ड्राईवर की सेवाये देने वाले के पास वेलिड भारी वाहन लाईसैंस व एमसी में कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है ऐसे पात्र ड्राईवर की सेवाये ही ठेकेदार को देनी अनिवार्य होगी ।

9.ठेकेदार को आपात स्थिति में रात अथवा दिन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर सफाई कर्मचारी/ड्राईवर की सेवाये उपलब्ध करानी होगी ।

10. विविध सफाई कार्य का समय प्रातः 6 बजे से 9 बजे व दोपहर 10 बजे से 3 बजे के बीच होगा । टिप्पर चलाने हेतू सेवाओं ड्राईवर को प्रातः 7 बजे तथा शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे और आपातकाल में कभी भी देनी होगी । ड्राईवर की ड्यूटी उसी तर्ज पर ली जायेगी जैसे अन्य सरकारी विभागों में नियम लागू है । अवकाश / सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य करने पर प्रतिपूरक अवकाश दिया जायेगा । यदि जनहित में कभी अवकाश के दिन कार्य करने की जरूरत होगी उसके ऐवज में प्रतिपूरक अवकाश दिया जायेगा । यदि ड्राईवर अवकाश पर है तो उस ड्राईवर की जगह पर अन्य ड्राईवर को रखना ठेकेदार कि जिम्मेवारी होगी ।

11 विविध सफाई कार्य के लिये दो ब्लाक्स होगे एक ब्लाक वार्ड न0.1,2,3,4 के लिये 8..कामगारों को लगवाना होगा दूसरे ब्लाक्स में वार्ड न0.5,6,7 के लिये 8

Scanned with OKEN Scanner

.. कामगारों को लगाना होगा । इसके अतिरिक्त एक ड्राईवर की सेवाओं जिसके पास हैवी गाड़ी चलाने का लाईसैंस हो ठेकेदार को .....16.. सफाई कर्मियो के अतिरिक्त टिप्पर चलाने हेतू प्रति माह ठेके पर देनी होगी । कुल मैन पावर इस प्रकार ...17 की प्रतिमाह सफाई कार्य व टिप्पर चलाने हेतू एक ड्राईवर सहित ठेके पर देनी होगी । ठेकेदार कार्य में तैनात सभी कर्मचारियों की प्रतिदिन की हाजरी उनके स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित रजिस्टर में लगवाना सुनिश्चित करे उसी के अनुसार हाजरी सत्यापन के बाद प्रतिमाह ठेका राशी के बिल की अदायगी की जायेगी ।यदि अपेक्षित कर्मियों के द्वारा माह के दौरान हाजरी पूरी नहीं होगी तो देय बिल की राशि मे कटौती की जायेगी । टिप्पर में किसी भी कर्मचारी जो सफाई कार्य हेतू ठेकेदार तैनात करेगा की ड्यूटी लगाई जा सकेगी । लम्बी दूरी के लिये/ एमसी एरिया से डम्पिंग साईट तक कूड़ा ढोने के लिये टिप्पर/गाड़ी नगरपरिषद् उपलब्ध करवायेगी व ठेकेदार को अपने तैनात कर्मियों के माध्यम से दोनो ब्लॉकों में विविध सफाई का कार्य सहित नगरपरिषद् के सम्पूर्ण क्षेत्र से टिप्पर के माध्यम से कूड़ाकर्कट उठाना होगा । ब्लाको में परिवर्तन भी किया जा सकेगा तथा व्लॉको में कोई वार्ड शामिल किया जा सकेगा या कोई वार्ड हटाया भी जा सकेगा ।

12.नगरपरिषद् कार्यालय के दिशा निर्देश दलेल में समुचित ढंग से किसी भी चिन्हित क्षेत्र में सफाई करना आवश्यक है । दो कर्मचारी हर समय झाड़ू व सफाई व्यवस्था के लिए (N.H.रहीघाट से जनोगघाट तथा शाली बाजार) 11:00 बजे से 4:00 बजे तक कार्यरत रहेगे ।

13. उक्त सफाई सम्बन्धि कार्य का निरीक्षण नगरपरिषद् के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है और ठेका राशि का भुगतान सफाई कार्य संतोषजनक होने पर ही किया जायेगा ।

14. उक्तविविध सफाई कार्य का ठेका स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपरिषद् के कार्यकारी अधिकारी के पास सदैव सुरक्षित रहेगा । यदि ठेकेदार द्वारा रखे गए सफाई कर्मचारियों द्वारा किसी भी कारण कार्य रोका जाए तो ठेकेदार को उसी समय Blacklist कर दिया जायेगा ।

15. निविदाकार को अपने आपको क्षेत्रीय प्रोवीडेन्ट कमीश्नर से पंजीकृत करवाना होगा तथा वेलीड ईपीएफ कोड, पैन नम्बर जीएसटी होने सम्बन्धित डोकुमेन्ट की सत्यापित प्रतियॉं टैंडर जारी करने हेतू प्रार्थनपत्र के साथ प्रस्तुत करनी जरूरी होगी ।

16. सम्बन्धित ठेकेदार को लेबर की मासिक न्यूनतम पेयमन्ट जो कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, सम्बन्धित लेबर के बैक एकाउन्ट के माध्यम से करनी होगी जिस बारे प्रति माह लेबर से प्राप्त रसीदें अन्य प्रुफ मासिक वेतन प्राप्ति बारे मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी । Full Time काम करने वाले कर्मचारी का EPF जमा करवाना अनिवार्य रहेगा । Employee/Employers दोनो शेयर जमा करवाने होगे । पहले माह की EPF statement देने के बाद ही दूसरे माह के बिल की अदायगी की जावेगी यदि ठेकेदार के द्वारा EPF statement नही दी जाती तो इस अवस्था मे Tender रदद किया जावेगा । ठेकेदार लेबर/ ड्राईवर को न्यूनतम वेतन देने के बाध्य होगा । ठेकेदार को अनुभव के साथ कम से कम 50 % सफाई कर्मचारियों का पिछले तीन माह का EPF तथा ESI जमा करवाना होगा । यह प्रमाणित करने के लिए EPF व ESI तथा हाजरी की सूची लगाना भी आवशयक होगा । 50% सफाई कर्मचारियों का इसलिय जरूरी है क्योंकि कुछ सफाई कर्मचारियों के पास आधार कार्ड नही होते ।

17. यदि ठेका राशि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्युनतम वेतन के अनुसार Tender में नहीं पाई गयी व EPF की शर्ते पूरी न हो पाए तो एसी स्थिति में उसका Tender रदद किया जावेगा

Scanned with OKEN Scanner

तथा second lowest ठेकेदार को ठेका दिया जावेगा जो कि EPF व न्युनतम वेजिंज की शर्त पूरी करेगा ।

18. नगरपरिषद् के कार्यालय में आई शिकायत के अनुसार उस पर तुरन्त निवारण न करने पर सफाई ठेकेदार से 500/– रूपये जुर्माना प्रतिदिन/पेनल्टी के रूप में काटे जाएंगे । यह कि ठेका किसी को आगे सबलैट नहीं किया जा सकेगा । लेकिन ठेकेदार द्वारा वर्क सुपरवाईजर रख सकता है ।

19. विविध सफाई कार्य एक ड्राईवर की सेवाओं सहित औपचारिकताये पूर्ण करने पर अवार्ड किया जायेगा तथा किसी को आगे सबलैट नहीं किया जा सकेगा ।

20.विविध सफाई का कार्य एक अनुभवी लाईसैंस होल्डर ड्राईवर की सेवाओं सहित सन्तोषजनक न होने पर अथवा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त ठेका की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर सफाई ठेका निर्धारित अवधि से पूर्व कार्यकारी अधिकारी के द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये कारण बताये रद्द किया जा सकेगा ।

21. विविध सफाई कार्य ठेका दोनो प्रस्तावित ब्लॉको में बिना 15 दिन पूर्व नोटिस के छोड़ा नही जा सकेगा ऐसी स्थिति में सफाई कार्य ठेकेदार की जिम्मेवारी फिक्स की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

22.ठेकेदार को ठेका स्वीकृति पर तैनात किये जाने वाले ड्राईवर के माध्यम से टिप्पर की लॉगबुक नियमित ड्राईवर/ कनिष्ठ अभियन्ता के सुपरवीजन में उंपदजंपद करवानी होगी तथा समय–2 पर एमसी टिप्पर के इन्चार्ज प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी/नियमित ड्राईवर/कनिष्ठ अभियन्ता से चैक /सत्यापित करवानी जरूरी होगी तभी टिप्पर हेतू डीजल व अन्य इसके रख रखाव सम्बन्धि देय बिलों का सत्यापन प्राधिकृत कर्मचारी व अधिकारी द्वारा करने के बाद इनकी अदायगी की जायेगी ।

23.जंहा तक 16 सफाई कर्मियों एक ड्राईवर की सेवाये सहित अनुबन्ध पर देने पर विविध बिल की अदायगी का सम्बन्ध है हर महिने की दस तारिख तक महिना समाप्ति पर सम्बन्धित महिने हेतू कार्य का बिल प्रस्तुत करके उस पर कार्य बारे संतोषजनक रिपोर्ट सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारी द्वारा करने व नियमानुसार बिल में से इनकम टैक्स कटौती के बाद की जायेगी ।

24.ठेकेदार को टिप्पर /गाड़ी चलाने हेतू व विविध सफाई कार्य करने के लिये /टिप्पर चलाने हेतू रेट एक ड्राईवर की सेवाओं सहित प्रति मास के हिसाब से भरने होगे/अपेक्षित है । गाडी परिषद् द्वारा provide की जायेगी तथा टिप्पर का मासिक रखरखाव तथा डीजल इत्यादि का खर्चा परिषद् वहन करेगी ।

25. विविध सफाई कार्य करने तथा टिप्पर चलाने हेतू ड्राईवर की सेवाये अनुबन्ध पर देने हेतू सफाई कर्मियों / ड्राईवर के वेतन वेजीज को ध्यान में रखते हुये अपनी निविदाये प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को हर कर्मचारी का EPF जमा करवाना अनिवार्य रहेगा । पात्र ठेकेदार को श्रम नियमों की अनुपालना करनी होगी तथा उक्त सेवाये प्रदान हेतू तैनात लेबर को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना जरूरी होगा । ठेकेदार ड्राईवर की सेवाये ऐसे पात्र ड्राईवर को दे सकेगा जिसके पास वेलिड ड्राईविंग लाईसैंस व कम से कम दो साल का एमसी में गाड़ी चलाने का अनुभव हो ।

26. विविध सफाई कार्य तथा ड्राईवर की सेवाये अनुबन्ध पर देने का कार्य बिना 15 दिन पूर्व नोटिस के छोड़ा नही जा सकेगा ऐसी स्थिति में सफाई कार्य ठेकेदार की जिम्मेवारी फिक्स की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

27.किसी भी मोहरबन्द निविदा को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् के पास सुरक्षित रहेगा तथा अस्वीकृति की सूरत मे कोई वजह बताने की जरूरत नहीं

Scanned with OKEN Scanner

होगी।अनुबन्ध पर ड्राईवर की सेवाये एमसी एरिया से बाहर कहीं भी /एमसी एरिया के अन्दर कूड़ा ढोने के उद्देश्य से एमसी टिप्पर तैनाती पर इसे चलाने के लिये ली जा सकेगी ।

28. विविध सफाई कार्य तथा ड्राईवर की सेवाये अनुबन्ध पर देने का कार्य सन्तोषजनक न होने पर अथवा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त ठेके पर अवार्डिड कार्य करने की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर उक्त ठेका कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व कार्यकारी अधिकारी के द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये कारण बताये रद्द किया जा सकेगा ।

29. नगर परिषद की Accomodation प्रयोग में लाने की स्थिति में बिजली बिल की अदायगी ठेकेदार को करनी होगी अन्यथा ठेकेदार के बिल से कटौती की जावेगी ।

घर–2 से अलग–2 गिला तथा सूखा कचरा उठाने का कार्य ठेका बावत शर्ते

1. घर–2 से अलग–2 सुखा व गीला कूड़ा उठाने काकार्य क्षेत्र वार्ड न01,2,3 व 4 ब्लाकनम्बर 1तथा वार्ड न0 5,6,7 ब्लाक न0 दो के लिये विभाजित होगा जिसके लिये टैंडर भरने से पूर्व प्रत्येक इच्छुक निविदाकार द्वारा भौतिक तौर देखने के पश्चात ही टैंडर भरने की अनुशंसा की जाती है ।

2. घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने का ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने खर्चे पर 7 दिन के अन्दर नगरपरिषद् से इकरारनामा बनाना होगा ।

3.कार्य के प्रकार को देखते हुये यह आवश्यक है कि सफाई कर्मचारियों की उम्र 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक नही होगी ।

4.घर–2 अलग–2 से कूड़ा उठाने के कार्य में प्रयोग होने वाला सामान झाड़ू बेलचा,गैन्ती ,जब्बल ,ग्लब्स, मास्क कैरी बैग इत्यादि ठेकेदार को उपलब्ध करवाना होगा नगरपरिषद् केवल रेहड़ी उपलब्ध करवायेगी ।

5.घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने के कार्य में लगे सभी सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य के सरकारी मापदंडो के अनुसार पूर्णतया स्वस्थ होने आवश्यक है ।

6.घर –2 से अलग–2 कूड़ा उठाने का कार्य नियमित रूप से प्रतिदिन होना आवश्यक होगा जिसमे कि प्रत्येक वार्ड के आवासीय मकान, दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान , कार्यालयों /होटल ,पाठशालायों इत्यादि से कूड़ा उठाने का कार्य शामिल है ।

7.ठेकेदार को आपात स्थिति में रात अथवा दिन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने होगे ।

8.घर–2 से कूड़ा उठाने का कार्य का समय प्रातः 6 बजे से 9 बजे दोपहर व शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच होगा । सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों /स्कूलों से कूड़े उठाने का समय सांय 3:00 बजे से 4:00 बजे का रहेगा ।

9.घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने के कार्य के लिये दो ब्लाक्स होगे एक ब्लाक वार्ड न0.1,2,3,4 के लिय 10...कामगारों को लगवाना होगा दूसरे ब्लाक्स में वार्ड न0.5,6,7 के लिये भी 10कामगारों को लगाना होगा । । ठेकेदार कार्य में तैनात सभी कर्मचारियों की

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिदिन की हाजरी उनके स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित रजिस्टर में लगवाना सुनिश्चित करे उसी के अनुसार हाजरी सत्यापन व इस बारे सम्बन्धितो की रिपोर्ट के बाद प्रतिमाह ठेका राशी के बिल की अदायगी ठेकेदार को की जायेगी । यदि अपेक्षित कर्मियों के द्वारा माह के दौरान हाजरी पूरी नहीं होगी तो उसके मध्यनजर मासिक देय बिल की राशि मे कटौती की जायेगी । घर–2 से कूड़ा उठाने का कार्य के अतिरिक्त अन्य विविध सफाई कार्यो में इन कामगारों को आवश्यकता पड़ने पर तैनात किया जा सकेगा । टिप्पर में किसी भी कर्मचारी व उक्त सफाई कार्य घर –2 से कूड़ा उठाने वाले कामगारों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी ।

10..उक्त घर –2 से कूड़ा इकट्ठा करने के सफाई सम्बन्धि कार्य का निरीक्षण नगरपरिषद् के किसी भी अधिकृत कर्मचारी अधिकारी/ एजेन्सी के द्वारा किया जा सकता है और ठेका राशि का भुगतान सफाई कार्य संतोषजनक होने पर खासकर घर–2 से इकट्ठा करने के कार्य के बिल की अदायगी सेल्फ हेल्प ग्रुप व सरकारी योजना के तहत व्यक्तियों की प्रति माह रिपोर्ट के बाद ही किया जायेगा ।

11.उक्त सफाई कार्य का ठेका स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपरिषद् के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी के पास सदैव सुरक्षित रहेगा ।

12.निविदाकार को अपने आपको क्षेत्रीय प्रोवीडेन्टकमीश्नर से पंजीकृत करवाना होगा तथा वेलीड ईपीएफ कोड, पैन नम्बर जीएसटी होने सम्बन्धित डोकुमेन्ट की सत्यापित प्रतियॉ टैंडर जारी करने हेतू प्रार्थनपत्र के साथ प्रस्तुत करनी जरूरी होगी ।

13.नगरपरिषद् के कार्यालय में आई शिकायत के अनुसार/ सफाई पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सफाई ठेकेदार से 500/– रूप्ये जुर्माना प्रति दिन/पेनल्टी के रूप में काटे जाएंगे ।. यह कि ठेका किसी को आगे सबलैट नहीं किया जा सकेगा तथा ठेकेदार एक वर्क सुपरवाईजर रख सकता है ।

14.घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने हेतू युजर चार्जिज परिषद् ने जो तय कर रखे है को लेने वसूली के लिये सेलफ हेल्प ग्रुप,सरकारी योजना व अन्य एजैन्सी की तैनाती की जायेगी उसके अनुसार सभी को युजर चार्जिज देने होगे जो कि हर महिने की दस तारिख तक सम्बन्धित के द्वारा परिषद् के behalf पर बसुलने पर परिषद् में जमा करने होगे । धर–2 से कूड़ा इकट्ठा करने हेतू ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मी को कम से कम 100 हाउसहोल्डर कवर करने होगे जिस बारे प्रतिमाह युजर चार्जिज इकट्ठा करने हेतू तैनात एजैन्सी/SHGs/ सरकारी यौजना तैनात व्यक्तियो से व सफाई पर्यवेक्षक/ परिषद् द्वारा अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी की रिपोर्ट आने पर ठेकेदार को मासिक देय अनुबन्ध राशी की अदायगी की जायेगी तथा किसी भी शर्त की अवहेलना पर व औपचारिकताये पूर्ण न करने पर विविध सफाई कार्य अनुबन्ध पर एक ड्राईवर की सेवाये देने जॉब नम्बर 1 तथा डाईवर की सेवाये जॉब नम्बर 2 तथा घर–2 से कूड़ा उठाने का सफाई कार्य का ठेका जॉब नम्बर 3 पूर्ण कार्यअवधि से पूर्व रद्द किया जा सकेगा तथा बिल में कार्य बारे रिपोर्ट के अनुसार अनुपातिक कटौती की जायेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

15.घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने का कार्य सन्तोषजनक न होने पर अथवा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त ठेका की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर सफाई ठेका निर्धारित अवधि से पूर्व कार्यकारी अधिकारी के द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये कारण बताये रद्द किया जा सकेगा ।

16. घर–2 से अलग–2 कूड़ा उठाने का कार्य बिना 15 दिन पूर्व नोटिस के छोड़ा नही जा सकेगा ऐसी स्थिति में सफाई कार्य ठेकेदार की जिम्मेवारी फिक्स की जायेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जासकती हैं।

17.उक्त कार्य के लिये प्रस्तुत किसी भी मोहरबन्द निविदा को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद् के पास सुरक्षित रहेगा तथा अस्वीकृति की सूरत मे कोई वजह बताने की जरूरत नहीं होगी।

18. घर–घर से कूड़ा इकटठा करने वाले कर्मचारी कूडे को खुले में नही रखेगे, इस कूडे को बोरे मे कलेक्शन बॉक्स मे ही रखेगे । यदि कोई कर्मचारी खुले में कूडा रखता हुआ पाया गया तो इस स्थिति में ठेकेदार का चलान किया जायेगा ।

19. घर–घर से कूड़ा इकटठा करने वाले कर्मचारी यदि किसी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों तथा किसी के घरो से कूडा नहीं उठाते है तो उनके द्वारा जो मासिक शुल्क बनता है वह ठेकेदार के बिल से काटा/अदायगी की जावेगी ।

20. सम्बन्धित ठेकेदार को लेबर की मासिक न्यूनतम पेयमन्ट जो कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, सम्बन्धित लेबर के बैंक एकाउन्ट के माध्यम से करनी होगी जिस बारे प्रति माह लेबर से प्राप्त रसीदें अन्य प्रुफ मासिक वेतन प्राप्ति बारे मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी । Full Time काम करने वाले कर्मचारी का EPF जमा करवाना अनिवार्य रहेगा । Employee/Employers दोनो शेयर जमा करवाने होगे । पहले माह की EPF statement देने के बाद ही दूसरे माह के बिल की अदायगी की जावेगी यदि ठेकेदार के द्वारा EPF statement नही दी जाती तो इस अवस्था मे Tender रदद किया जावेगा । ठेकेदार लेबर/ ड्राईवर को न्यूनतम वेतन देने के बाध्य होगा । ठेकेदार को अनुभव के साथ कम से कम 50 % सफाई कर्मचारियों का पिछले तीन माह का EPF तथा ESI जमा करवाना होगा । यह प्रमाणित करने के लिए EPF व ESI तथा हाजरी की सूची लगाना भी आवशयक होगा । 50% सफाई कर्मचारियों का इसलिय जरूरी है क्योंकि कुछ सफाई कर्मचारियों के पास आधार कार्ड नही होते ।

Executive Officer
Municipal Council Theog
Distt. Shimla (H.P.)

कार्यकारी अधिकारी
नगरपरिषद ठियोग।